संख्या- 26/572/30-3-15-6बी/2014

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 13 मार्च, 2015

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24सड़क सुरक्षा/2015-45स0सु0(बजट)/13-14, दिनॉक 13-01-2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-18/412/30-3-15-6बी/2014, दिनॉक 26-02-2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों में व्यय किये जाने हेतु धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी गयी है। उक्त धनराशि से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कार्यों के सम्मुख अंकित सीमा तक धनराशि को व्यय किये जाने हेतु धनराशि रू0 339.45 लाख (रू0 तीन करोड़ उनतालीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्थल जहॉ कार्य कराया जाना है	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1.	ब्लैक स्पॉट्स में सुधार हेतु	अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, कुशीनगर, एटा एवं आजमगढ़	177.85
2.	ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण	झॉसी, उरई, ललितपुर, अमेठी, फैजाबाद, मऊ, इटावा, औरैया, कन्नौज, मथुरा, एटा एवं फिरोजोबाद	127.08
3.	फिटनेस पिट का निर्माण	सुल्तानपुर एवं कुशीनगर	34.52
	योग -		**339.45**

(1) आहरित धनराशि पीएलए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाये।

(3) निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा, जिसके लिये कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी। इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/572(1)/30-3-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in